

सिपडा योजना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति के सदस्य

1. संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सिपडा योजना से संबंधित – अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) –सदस्य
3. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन अथवा उनके प्रतिनिधि –विशेषज्ञ सदस्य
4. निदेशक (आईपीएच), दिल्ली –विशेषज्ञ सदस्य
5. उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सिपडा योजना से संबंधित –सदस्य सचिव